एवं उप खण्ड अधिकारी

22/11/24

प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर प्रकाशनी तलबी के लिए लिखित पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रकाशनी के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकाशनी निज ही तारीख पेशी पर नहीं आने का आदेश पारित किया गया। प्रकाशनी व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों के कथन दर्ज नामा है। आने के प्रकाशनी गवाह विपक्षी द्वारा प्रकाशित का आदेश जारी किया। प्रकाशनी प्रार्थी के पक्षकार के कथन दर्ज नामा है। आने पर गवाह विपक्षी प्रकाशनी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशनी द्वारा दुबारा होकर नम्बर से पत्र के कथन दर्ज नहीं है।

एवं उप खण्ड अधिकारी